संख्या-48/2024/4143/22-2-2023-17(1409)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल 2024

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र श्री तोहफाराम, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35583/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-30-11-2023) दिनांक-11-12-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र श्री तोहफाराम, वाजिदपुर, थाना-फेस-02, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। घर में आर्थिक तंगी व पारिवारिक कलह को लेकर दिनांक 03-04-2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती रंजना शर्मा का अपहरण कर डीजल डालकर आग लगाकर जला दिया तथा कुंए में फेंक कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-647/2008 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 में मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 28-03-2011 द्वारा दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-10-2014 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 25-10-2023 तक बन्दी की आयु 45 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 25-10-2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 06 माह 09 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त व जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र तोहफाराम की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि घर में आर्थिक तंगी व पारिवारिक कलह को लेकर दिनांक 03-04-2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती रंजना शर्मा का अपहरण कर डीजल डालकर आग लगाकर जला दिया तथा कुंए में फेंक कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र श्री तोहफाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजकुमार (बन्दी संख्या-101/14) पुत्र श्री तोहफाराम, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-48/2024/4143/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर
2- अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-380/2023 ओमकार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-48/2024/4143/22-2-2023-17(1409)/2023

दिनांक 16 अप्रैल 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र श्री तोहफाराम, वाजिदपुर, थाना-फेस-02, जनपद- गौतमबुद्धनगर का निवासी है। घर में आर्थिक तंगी व पारिवारिक कलह को लेकर दिनांक 03-04-2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती रंजना शर्मा का अपहरण कर डीजल डालकर आग लगाकर जला दिया तथा कुंए में फेंक कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-647/2008 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 में मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 28-03-2011 द्वारा दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-10-2014 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 25-10-2023 तक बन्दी की आयु 45 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 25-10-2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 06 माह 09 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह 11 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त व जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र तोहफाराम की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि घर में आर्थिक तंगी व पारिवारिक कलह को लेकर दिनांक 03-04-2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती रंजना शर्मा का अपहरण कर डीजल डालकर आग लगाकर जला दिया तथा कुंए में फेंक कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र श्री तोहफाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।